भारत सरकार

अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या : †3092

उत्तर देने की तारीख : 11.03.2026

प्रधानमंत्री विरासत का संवर्धन (पीएम विकास) योजना का कार्यान्वयन और इसके लाभार्थी

†3092. डॉ. बायरेड्डी शबरी:

क्या **अल्पसंख्यक कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले पांच वर्षों के दौरान पीएम विकास के अंतर्गत आवंटित, जारी और उपयोग की गई, राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार, वर्षवार और घटकवार (कौशल एवं प्रशिक्षण, नेतृत्व एवं उद्यमिता तथा शिक्षा घटक) कुल निधि कितनी है;

(ख) पीएम विकास के अंतर्गत उक्त अवधि के दौरान नामांकित, प्रशिक्षित या नेतृत्व एवं उद्यमिता विकास प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार, वर्षवार, जिलावार, लिंगवार और अल्पसंख्यक समुदायवार संख्या कितनी है;

(ग) प्रत्येक उप-घटक के अंतर्गत कार्यान्वित कार्यक्रमों की संख्या कितनी है और कार्यक्रमों का प्रकार क्या है, साथ ही पाठ्यक्रम की अवधि, प्रदान किए गए प्रमाण पत्र और प्रशिक्षण क्षेत्र क्या हैं;

(घ) प्रशिक्षण के बाद रोजगार प्राप्त करने वाले, उद्यम शुरू करने वाले या उच्च शिक्षा जारी रखने वाले अभ्यर्थियों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार और घटकवार संख्या कितनी है; और

(ङ) कवरेज का विस्तार करने, प्रशिक्षण की गुणवत्ता में सुधार करने, परिणामों की निगरानी करने और स्किल इंडिया मिशन/स्किल इंडिया पोर्टल के साथ अभिसरण सुनिश्चित करने के लिए उठाए गए या उठाए जाने वाले कदम क्या हैं?

उत्तर

अल्पसंख्यक कार्य मंत्री

(श्री किरेन रीजीजू)

(क): प्रधानमंत्री विरासत का संवर्धन (PM VIKAS) एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है, जो मंत्रालय की पूर्ववर्ती कौशल विकास और शिक्षा सहायता पहलों को एकीकृत करती है तथा कौशल विकास, अल्पसंख्यक महिलाओं के बीच उद्यमिता और स्कूल ड्रापआउट बच्चों के लिए शिक्षा सहायता के माध्यम से छह अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदायों के सामाजिक-आर्थिक सशक्तीकरण पर ध्यान केंद्रित करती है। इस योजना के दिशा-निर्देशों को जनवरी 2025 में अनुमोदन प्रदान किया गया था और तत्पश्चात योजना का कार्यान्वयन शुरू हुआ।

वित्तीय वर्ष 2024-25 और 2025-26 में बजट आवंटन और व्यय का विवरण नीचे दिया गया है:

(रु. करोड़ में)

वर्ष	बजट अनुमान	संशोधित अनुमान	वास्तविक व्यय
2024-25	255.43	30.00	0.00
2025-26	267.29	200.00	94.24*

*28.02.2026 तक

(ख): इस योजना का कार्यान्वयन हाल ही में शुरू हुआ है। 1.50 लाख से अधिक लाभार्थियों के आवंटित लक्ष्य की तुलना में, 19,400 से अधिक अभ्यर्थियों का नामांकन किया जा चुका है, जिनमें से 800 से अधिक अभ्यर्थियों को प्रशिक्षित भी किया जा चुका है। इस योजना के तहत नामांकित और प्रशिक्षित लाभार्थियों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार विवरण इस प्रकार है:

क्र.सं.	राज्य	नामांकित	प्रशिक्षित
1	आंध्र प्रदेश	180	0
2	असम	2375	0
3	बिहार	360	0
4	दिल्ली	1316	450
5	हरियाणा	283	30
6	जम्मू एवं कश्मीर	1440	0
7	झारखंड	1290	0
8	कर्नाटक	442	0
9	केरल	117	60
10	मध्य प्रदेश	1312	118
11	महाराष्ट्र	147	0
12	मेघालय	180	0
13	नागालैंड	98	0
14	पंजाब	4798	150
15	राजस्थान	204	0
16	तमिलनाडु	60	0
17	तेलंगाना	150	0
18	त्रिपुरा	264	0
19	उत्तर प्रदेश	3473	30

20	उत्तराखंड	1080	0
	कुल	**19569**	**838**

इस योजना के तहत नामांकित और प्रशिक्षित लाभार्थियों का लिंग-वार विवरण इस प्रकार है:

लिंग	**नामांकित**	**प्रशिक्षित**
महिला	11515	537
पुरूष	8054	301
कुल	**19569**	**838**

इस योजना के तहत नामांकित और प्रशिक्षित लाभार्थियों का समुदाय-वार विवरण इस प्रकार है:

समुदाय	**नामांकित**	**प्रशिक्षित**
मुस्लिम	9820	275
सिख	6866	488
ईसाई	1042	6
बौद्ध	234	0
जैन	23	0
अन्य	1584	69
कुल	**19569**	**838**

(ग): इस योजना के 04 घटक हैं, जो इस प्रकार हैं:

i. कौशल विकास और प्रशिक्षण घटक:
ii. महिला नेतृत्व और उद्यमिता घटक:
iii. शिक्षा घटक:
iv. अवसंरचना विकास घटक:

घटक (i) और (iii) के तहत मंत्रालय, NSQF के अनुरूप रोजगार भूमिका में प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय के सामान्य लागत मानदंडों के अनुसार परियोजना को लागू करता है। शिक्षा घटक का उद्देश्य अल्पसंख्यक समुदायों के स्कूल ड्रापआउट बच्चों को कक्षा 8वीं, 10वीं और 12वीं में मुक्त विद्यालयी शिक्षा के लिए 'शिक्षा सेतु कार्यक्रम' प्रदान करना है और उन्हें राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान (NIOS) या अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय (MoMA) द्वारा अनुमोदित किसी अन्य संस्थान के माध्यम से प्रमाण-पत्र प्रदान करना है।

(घ): चूंकि इस योजना का कार्यान्वयन केवल वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान शुरू हुआ है, और आवंटित 1.50 लाख से अधिक अभ्यर्थियों में से केवल 800 से अधिक अभ्यर्थियों ने अब तक अपना प्रशिक्षण पूरा किया है; अतः प्लेसमेंट, शुरू किए गए उद्यमों या प्रशिक्षण के उपरांत उच्च शिक्षा जारी रखने वाले प्रशिक्षुओं का प्रतिनिधि डेटा तभी उपलब्ध होगा जब अधिक संख्या में प्रशिक्षु अपना प्रशिक्षण पूरा कर लेंगे।

(ङ): पीएम विकास (PM VIKAS) योजना के अंतर्गत, मंत्रालय ने केवल NSDC (राष्ट्रीय कौशल विकास निगम) मान्यता प्राप्त केंद्रों पर (और शिक्षा घटक के तहत केवल NIOS द्वारा मान्यता प्राप्त केंद्रों पर) प्रशिक्षण आयोजित करने और दिए जा रहे प्रशिक्षण की निरंतर निगरानी का प्रावधान किया है। पीएम विकास योजना के लिए मंत्रालय के समर्पित पोर्टल को कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय (MSDE) के स्किल इंडिया डिजिटल हब (SIDH) पोर्टल के साथ एकीकृत किया गया है, जिसके तहत प्रशिक्षु अभ्यर्थियों के पूरे कालचक्र को SIDH पोर्टल पर दर्ज किया जाता है, ताकि कौशल विकास पारिस्थितिकी तंत्र के भीतर समन्वय तथा 'संपूर्ण सरकारी तंत्र' दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए कुशल, वास्तविक समय निगरानी सुनिश्चित की जा सके।

****